प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट : https://dicgc.org.in/hindi/
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

28 जून, 2024

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Purvanchal Co-operative Bank Ltd. Ghazipur
जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना -पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ग़ाज़ीपुर

The Reserve Bank of India (RBI), vide order DOR.MON/LC-03/12.22.803/2024-25 dated June 14, 2024, has cancelled the license of **Purvanchal Co-operative Bank Ltd. Ghazipur**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा "**पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ग़ाज़ीपुर** का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

2. Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from June 15, 2024.

परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 15 जून 2024 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

3. Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **Purvanchal Co-operative Bank Ltd. Ghazipur** an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., June 15, 2024, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, **पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ग़ाज़ीपुर** के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट : https://dicgc.org.in/hindi/
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

15 जून 2024 को, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

(सी. एम. सैमुएल)
उप महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2024-2025/05